तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22/8/26

आदेश

प्रार्थना पत्र धारा 212 आरटीए

अनवान सत्यनारायण आदि बनाम कृष्ण लाल आदि

प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया है। जिसमें प्रश्नगत
रकबा पर प्रार्थी गण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा ता फैसला चाही गई है।
प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रश्नगत रकबा चक 3
बीएलडब्लयू के खाता संख्या 16/102 में प.न. 21/239 मु.न. 6 में 2.530 है. मय
गैर मु. रास्ताव व इसी चक के खाता संख्या 14/103 में प.न. 23/240 मु.न. 13
के किला न. 3.239 है. नहरी प.न. 24/240 मु.न. 12 में 5.44. है. खाता संख्या
33/41 प.न.22/239 मु.न. 7 की 2.530 है. कृषि भूमि पर दिनांक 16.10.24 को
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण
के पक्ष में होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा जरी की गई है।
प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी स. 5,6,11 को जरिये नोटिस तामिल होने पर हाजिर नहीं
होने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गई है। अप्रार्थी संख्या 1ता 4, 7 ता
10 , 12 की ओर से श्री तरसेम सिंह सिद्धू हाजिर आये जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत
नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 1ता 4, 7 ता 10 , 12 बंद किया गया है।
बहस उभय पक्ष सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन
किया गया वाद पत्र में उभय पक्ष द्वारा पैरवी की जा रही है। वाद पत्र का
निस्तारण बाद साक्ष्य गुणोंवगुण पर किया जाना है। उभय पक्ष सांझे खातेदार है
खाता विभाजन का वाद पत्र है, प्रकरण में खाता विभाजन तक प्रार्थना पत्र स्वीकार
कर स्थगनादेश ता दावा ता फैसला निरन्तर करने से उभय पक्ष के मध्य विवाद
कम करने में सहायक ही होगा इस लिए प्रार्थना पत्र 212 आरटीए स्वीकार किया
जाकर दिनांक 16.10.24 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा ता दावा ता फैसला निरन्त
किया जाता है। पत्राली में निर्णय शामिल हो। आदेश सरे इजलास सुनाया गया
पत्रावली फैसला होकर दाखिल दफतर हो।